हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2000

संख्या 1/संवि0/अनु0 309/2000—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना संख्या 523–3–जी0एम0–70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970, मे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना संख्या 523–3–जी0 एस0–70/2068,

दिनांक 28 जनवरी, 1970 में,—

(i) पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. आयोग का गठन—आयोग में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने या तो भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के लिए पद धारण किया हो।"

(ii) पैरा 2 में,—

(क) उप पैरा (1) तथा (1–क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष/सदस्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की योग्यता अवश्य रखता हो।

(1–क) अध्यक्ष प्रति मास 20,000 रुपए तथा सदस्य प्रतिमास 16,000 रुपए का वेतन प्राप्त करेगा। वे महंगाई भत्ता लेने के हकदार नहीं होंगे। सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी की दशा में आयोग का सदस्य/अध्यक्ष उसको स्वीकृत पैंशन की राशि को निकाल कर उपयुक्त वेतन की नियत राशि प्राप्त होगी।

(1–ख) अध्यक्ष/सदस्य नीचे दिए अनुसार मकान किराया भत्ता लेने का हकदार होगा :—

अध्यक्ष —8,000 रुपए प्रति मास

सदस्य—6,000 रुपए प्रति मास।"

(ख) उप पैरा (3) तथा (4) का लोप कर दिया जाएगा,

(iii) पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

3. पदावधि—सदस्य/अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यद्यपि सरकार किसी सदस्य/अध्यक्ष की अवधि अन्य दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है :

परन्तु अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आयोग का सदस्य/अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि किसी सदस्य/अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी समय, एक मास का नोटिस देते हुए अथवा उसके बदले में एक मास के वेतन के भुगतान पर, कोई कारण बताए बिना, समाप्त की जा सकती है।"

(iv) पैरा (5–क) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

"(5–क) चिकित्सा सुविधाएं—अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य ऐसी चिकित्सा सुविधाएँ लेने का हकदार होगा जैसे कि राज्य सरकार के किसी सेवा निवृत कर्मचारी को उपलब्ध हैं।"

आर० एस० वर्मा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।

———

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 3rd January, 2000

No.G.S.R.1/Const./Art. 309/2000.—In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Admininistration Department, General Services, notification No. 523-3G.S.-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely :—

AMENDMENT

In Haryana Governent General Administration Department, General Services, notification No. 523-3G S.—70/2068, dated the 28th January, 1970.—

(i) for paragaraph 1, the following paragarh shall be substituted, namely :—

"1. Constitution of the Commission. —The Commission shall consist of seven members including Chairman out of whom two members would be such as have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of the State" ;

(ii) In paragraph 2,—

(a) for sub-paragarph (1) and (1-A), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:—

"(1) The Chairman/Member must possess a minimum qualification of Graduation from a recognised University.

(1—A) The Chairman shall receive a salary of Rs. 20,000 per mensem and Member Rs. 16,000 per mensem. They will not be entitled to claim dearness allowance. In case of retired Government employee, the Member/Chairman of the Commission shall get the aofresaid fixed amount of salary less the amount of pension gradted to him.

(1—B) The Chairman/Member shall be entitled to house rent allowance as under :—

Chairman Rs. 8,000 per month

Member Rs. 6,000 per month".;

(b) Sub-paragraphs (4) and (4) shall be omitted ,

(iii) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely :—

3. Term of office,—The Member/Chairman shall held office for a period of 3 years. The Government can however, extend the term of a Member/Chairman for adother period of two years :

Provided that the Chairman or a Member shall on attaining the age of 70 years cease to be a Member/Chairman of the Commission, as the case may be ;

Provided further that the appointment of a Member/Chairman may be terminated at any time by giving one month's notice or on payment of one month's salary in lieu thereof

without assigning any reason ;

(iv) for paragraph (5—A), the following paragraph shall be substitued, namely :—

"(5—A) Medical Facilities.—The Chairman or a Member shall be entitled to the medical facilities as available to a retired Government employee of the State Government."

R. S. VERMA,
Chief Secretary to Government,
Haryana, Chandigarh,